A6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी– अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
127/प्रा0पत्र/16	08.08.2016	13.09.2021

मथरा बाई पत्नी रामनिवास जाति बैरवा निवासी ग्राम अरनेठा तहसील नैंनवा जिला बून्दी। –प्रार्थी

बनाम

1. प्रेमबाई पुत्री गोपी जाति कीर निवासी बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी।
2. आवंटन परामर्शदात्री समिति, उपखण्ड अधिकारी नैंनवा जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार नैंनवा जिला बून्दी।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से श्री बृजमोहन शर्मा
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री निखिल शर्मा एड0
अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से पेरोकार सरकार

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थीया संख्या 1 के पिता मृतक गोपी आ0 लक्ष्मण जाति कीर ग्राम आंतरदा को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 232 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम अरनेठा आवंटन आदेश दिनांक 15.11.1975 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस न्यायालय में दायर अन्य प्रकरण संख्या 41/प्रार्थना–पत्र/2017 बउनवान सरकार बनाम गोपी आ0 लक्ष्मण जाति कीर निवासी आंतरदा तहसील नैंनवा विचारित था। इस प्रकरण की वस्तु स्थिति एक होने से दिनांक 10.04.2017 को हस्तगत प्रकरण में संलग्न किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीया संख्या 1 के पिता मृतक गोपी को विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 232 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम अरनेठा का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधान एवं प्रकिया के विपरीत आवंटन किया गया हैं। आवंटी मृतक गोपी एवं आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर अप्रार्थीया संख्या 1 का कभी वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं रहा हैं तथा भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई हैं। आवंटी एवं उसके पश्चात आवंटी के वारिसान द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई हैं। आवंटन के पश्चात प्रथम व द्वितीय वर्ष में आवंटित भूमि के 1/2 भाग में जोतना व फसल करना नियमों में अनिवार्य हैं। आवंटन नियम 14(3) की पालना उक्त आवंटन आदेश में नहीं की गई हैं। आवंटी एवं उसके वारिसान कभी भी ग्राम अरनेठा में निवासरत नहीं रहे हैं यह ग्राम आंतरदा में निवास करते हैं, इस कारण से भी आवंटन निरस्त होने योग्य हैं। आवंटित भूमि को प्रार्थीया एवं उसके पति द्वारा ही काबिल काश्त बनाया हैं और

A 6/2

काबिज होकर कृषि कार्य निर्बाध रूप से करते आ रहे हैं। प्रार्थीया बैरवा जाति की ...त्य जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 15.11.1975 को खारिज किया जावें। प्रार्थी अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2001 पेज 465, आरआरडी 2005 पेज 21 प्रस्तुत किये गये।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीया के पिता गोपी को आवंटन की पात्रता रखने से आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटन पूर्ण कोरम में किया गया हैं। आवंटन के पश्चात अप्रार्थीया के पिता गोपी द्वारा आवंटित भूमि पर काबिज होकर लगातार काश्त की हैं। गोपी जी का देहान्त होने के पश्चात प्रार्थीया उक्त भूमि पर काबिज काश्त करती रही हैं। स्वर्गीय गोपी जी आंतरदा में निवास करते थे। प्रार्थीया ग्राम आंतरदा की निवासी हैं एवं शादी के पश्चात बून्दी में निवास करती हैं तथा आवंटित भूमि को वर्तमान में आधौली (बंटवारा काश्त) के रूप में काश्त करवाती हैं। ग्राम अरनेठा पटवार मण्डल आंतरदा का ही ग्राम हैं। अप्रार्थीया के पिता स्वर्गीय गोपी व उनके बाद अप्रार्थीया ने आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया हैं। आवंटन वर्ष 1975 का हैं जिसे निरस्त करने हेतु लगभग 41 वर्ष पश्चात कार्यवाही प्रस्तुत की गई हैं। पुराने आवंटन नियमों में 10 वर्ष पश्चात खातेदारी देने का प्रावधान हैं। संशोधित नियमों में 3 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार हैं। प्रार्थीया द्वारा खातेदारी देने के संबंध में तहसीलदार नैंनवा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थीया के पिता का देहान्त हो चुका हैं। प्रार्थीया उक्त भूमि पर गैर खातेदार के रूप में लंबे समय से काबिज काश्त हैं जिसे स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 15.11.1975 यथावत रखा जावें। अप्रार्थीया के वकील ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1998 एस.सी. पेज 1128, आरबीजे 1998 पेज 16, 161, आरबीजे 2001 पेज 460, आरआरडी 2018 पेज 479 प्रस्तुत किये गये।

राजकीय अभिभाषक ने दोराने बहस व्यक्त किया कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थीया संख्या 1 के पिता स्वर्गीय गोपी को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 15.11.1975 को आवंटन किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा यह तथ्य व्यक्त किये गये हैं कि अप्रार्थीया के पिता तथा अप्रार्थीया का उक्त भूमि आवंटन कब्जाकाश्त नहीं रहा हैं। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2034 से 2036 का अवलोकन किया गया हैं जिसमें अंकित नोट से प्रकट होता हैं कि खसरा संख्या 232 में तीन आवंटियों क्रमशः मोरपाल आ0 भूरा मिसल संख्या 61 दिनांक 15.11.1975 से 8 बीघा, शान्तिलाल आ0 सून्दारा मिसल संख्या 62 दिनांक 15.11.1975 से 8 बीघा एवं गोपी आ0 लक्ष्मण मिसल संख्या 95 दिनांक 15.11.1975 से 8 बीघा भूमि का आवंटन किया गया हैं। खसरा गिरदावरी संवत 2034 में उक्त खसरा नम्बरान में रबी में सरसड़ा, संवत 2035 में खरीफ में जवार, मूंग और संवत 2036 रबी में सरसड़ा की फसल अंकित हैं। खसरा गिरदावरी संवत 2069 से 2072 में संवत 2069 खरीफ में मूंगफली, चरी, मक्का रबी में सरसों, संवत 2070 खरीफ में उड़द रबी में सरसों, संवत 2071 रबी में मसूर

अति0 जिला कलक्टर

A6/8

2072 रबी में मसूर की फसल अंकित हैं। इससे यह सिद्ध होता हैं कि आवंटित भूमि कास्त की जाती रही हैं। आवंटी गोपी की मृत्यु हो चुकी हैं और वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 998 दिनांक 02.09.2015 विरासत से मृतक गोपी के स्थान पर अप्रार्थीया प्रेमबाई पुत्री गोपी कौम कीर का नाम गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में यह उल्लेखित है कि यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे यह साबित हो कि आवंटी द्वारा कौनसे तथ्य छिपाये जाकर आवंटन करवाया गया हैं तथा आवंटन की कौनसी शर्तों की पालना नहीं की गई हैं। आवंटन नियम 1970 के नियम 14(1) अधीन भूमि का आवंटन 10 वर्षो के पश्चात अनन्त खातेदारी अधिकार प्रदान करने के अधिकार साथ गैर खातेदारी पर किये जाने के प्रावधान हैं। अधिसूचना संख्या 6(10)रेवे–92/31जी.एस.आर–76 दिनांक 23.09.1999 जो राजस्थान के राजपत्र असाधारण भाग 4(ग)(1) दिनांक 04.10.1999 द्वपृष्ठ 127(2) पर प्रकाशित हैं से नियम 14 के उपनियम 1 में एवं परन्तुक में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति 10 वर्ष आयी हैं, अभिव्यक्ति (3 वर्ष) प्रतिस्थापित की गई हैं अर्थात् 3 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदान करने की अवधारणा की गई हैं। आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने का दायित्व राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों का हैं। विवादित आवंटन आदेश वर्ष 1975 का हैं जिसे खारिज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लगभग 41 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सारहीन/बलहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 15.11.1975 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावें।

आदेश आज दिनांक 13.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)